संख्या-14/2022/I/157790/2022/001-46-1002-003-4-2022

प्रेषक,

डॉ. रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 20 अप्रैल, 2022

विषय-लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-24 (चीनी) के अन्तर्गत गैर वेतन मद हेतु प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-05/लेखा-बजट(चीनी)/, दिनांक 07-04-2022 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ को अनुदान संख्या-24 (चीनी) के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए धनराशि **रू.33.176 लाख (रूपये तैंतीस लाख सत्रह हजार छः सौ मात्र)** का निम्नलिखित मदों में आहरित करने एवं यथा आवश्यकता निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ आपके निर्वतन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.	मद विवरण	कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मद/कार्यवार फॉट (रू. लाख)	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि (रू. लाख)
1	2	3	4
	क-सामान्य (गैर वेतन)		
1	प्रवक्ताओ का पारिश्रमिक	2.00	0.66
2	अतिथि/ कृषक/ कर्मचारी जलपान	2.00	0.66
3	जीप/ कार पर व्यय	4.50	1.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

4	डाकतार पर व्यय	0.20	0.066
5	स्टेशनरी पर व्यय	0.55	0.18
6	विद्युत बिलों का भुगतान	18.00	6.00
7	विद्युत ध्वनि उपस्कर	1.00	0.33
8	ट्यूबवेल रख-रखाव	2.00	0.66
9	भवन कर एवं जलकर	35.00	11.66
10	उद्यान रख-रखाव	0.30	0.10
11	फोटो कापियर/कम्प्यूटर रख-रखाव	1.00	0.33
12	टेलीफोन पर व्यय	2.00	0.66
13	कृषक स्टेशनरी	3.00	1.00
14	विविध व्यय	2.00	0.66
15	वातानुकूलन का रख-रखाव	2.00	0.66
16	भवन किराया गोरखपुर/मुरादाबाद	2.20	0.73
17	लिफ्ट एवं फायर फाइटिंग सिस्टम वार्षिक रख-रखाव	5.00	1.66
18	सुरक्षागार्ड मानदेय	17.00	5.66
19	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मानदेय	0.25	--
	योग-	**100.00**	**33.176**

2. **<u>शर्तें एवं प्रतिबन्ध</u>**:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या:5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि संलग्नक में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

व्यय/ मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(4) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

3. उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. उपर्युक्त स्वीकृत को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-**"2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0304-लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र. को सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन)"** के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं शासनादेश संख्या:5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

डॉ. रूपेश कुमार

विशेष सचिव।

<u>संख्या: 14/2022/।/157790/2022 एवं तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र.।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8. चीनी उद्योग अनुभाग-2 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
डॉ. रूपेश कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है